उत्तर प्रदेश शासन
लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-1
संख्या- 21/2015/1129/62-1-2015-17जीडब्लू/2012
लखनऊ / दिनांक 09 सितम्बर, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

पदोन्नति में आरक्षण एवं परिणामी ज्येष्ठता के संबंध में मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित सिविल अपील संख्या-2608/2011 उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 बनाम राजेश कुमार व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-4-2012 का आपरेटिव अंश निम्नवत है:-

In the ultimate analysis, we conclude and hold that section 3(7) of the 1994 Act and Rule 8A of the 2007 Rules are ultra vires as they run counter to the dictum in M.Nagraj (Supra). Any promotion that has been given on the dictum of Indra Sawhney (Supra) and without the aid or assistance of section 3 (7) and Rule 8A shall remain undisturbed.

2- मा0 उच्चतम न्यायालय के उक्त निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या- 8/4/2002टीसी-1-का-2/2015 दिनांक 21-08-2015 द्वारा अपने शासनादेश संख्या- 4/1/2002टीसी-1-का-2/2012, दिनांक 28 अप्रैल, 2012 एवं शासनादेश संख्या- 4/1/2002टीसी-1-का-2/2012, दिनांक 13-5-2012 के माध्यम से पदोन्नति में आरक्षण एवं परिणामी ज्येष्ठता की व्यवस्था समाप्त करने तथा पदोन्नति में आरक्षण तथा परिणामी ज्येष्ठता का लाभ प्राप्त कर पूर्व में पदोन्नति प्राप्त कार्मिकों के संबंध में जब तक कोई निर्देश प्रसारित न कर दिये जायें तब तक पदोन्नति की कार्यवाही न किये जाने की व्यवस्था में आंशिक संशोधन करते हुए पदोन्नति में आरक्षण तथा परिणामी ज्येष्ठता का लाभ प्राप्त कर दिनांक 28 अप्रैल, 2012 के पूर्व एवं दिनांक 15-11-1997 के बाद प्रोन्नत कार्मिकों के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया है :-

(क) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछडे वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम,1994 की धारा-3(7) के प्रावधान के अनुसार पदोन्नति में आरक्षण का लाभ देते हुए दिनांक 15-11-1997 के पश्चात पदोन्नत कार्मिकों तथा उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 (यथासंशोधित) के नियम-8 (क) का लाभ देकर जिन कार्मिकों की पदोन्नति की गयी है, उन्हें पदावनत कर दिया जाए। वर्तमान संशोधित वरिष्ठता सूची जो कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 08-5-2012 एवं 13-5-2012 के क्रम में जारी की गयी है, के अनुसार दिनांक 15-11-1997 के पश्चात पदोन्नति में आरक्षण तथा नियम-8 क का लाभ प्राप्त कर पदोन्नत कार्मिकों से कनिष्ठ कर्मी जिस स्तर पर कार्यरत हो, उस स्तर तक उन्हें पदावनत किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(ख) पदावनत किये जाने पर आरक्षित श्रेणी के कार्मिक को पदावनत पद का ही वेतनमान अनुमन्य होगा। उक्त संशोधित वरिष्ठता सूची के अनुसार पदावनत किये गये आरक्षित श्रेणी के कार्मिक से आसन्न वरिष्ठ कर्मी को अनुमन्य मूल वेतन के बराबर पदावनत कर्मी का मूल वेतन निर्धारित किया जायेगा। पदावनित के ठीक पूर्व के माह में पदावनत कर्मी को प्राप्त हो रही परिलब्धियां (मूल वेतन, मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि) में पदावनति के उपरान्त कोई वित्तीय हानि न हो, इसके लिये पदावनत किये गये कार्मिक की पदावनित के उपरान्त निर्धारित मूल वेतन के आधार पर प्राप्त होने वाली कुल परिलब्धियों तथा पदावनित के ठीक पूर्व माह में प्राप्त होने वाली कुल परिलब्धियों में जो अन्तर होगा, वह वैयक्तिक वेतन के रूप में पदावनत कार्मिक को अनुमन्य होगा । वैयक्तिक वेतन आगे के वर्षों में उस सीमा तक कम होता जायेगा जिस सीमा तक पदावनत कर्मी के मूल वेतन में वार्षिक वेतन वृद्धि तथा अन्य भत्तों सहित आधारित सकल वेतन में वृद्धि हो रही है। पदावनत कर्मी की पदावनति के ठीक पहले माह में प्राप्त कुल मासिक परिलब्धियॉ तब तक फ्रीज रहेगी, जब तक कि पदावनत कर्मी से आसन्न वरिष्ठ कर्मी की परिलब्धियों इसके बराबर या इससे अधिक न जाए ।

(ग) आरक्षण का लाभ प्राप्त कर पदोन्नत कार्मिक, पदावनति के पश्चात पदावनत पद के अनुरूप ही समस्त सुविधायें प्राप्त करेंगे।

(घ) पदावनत कर्मी को प्राप्त हो रही परिलब्धियों (जिसमें वैयक्तिक वेतन शामिल होगा) के आधार पर वरिष्ठता क्रम में कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा।

(च) अनारक्षित वर्ग (जिन्हें पदोन्नति में आरक्षण की सुवधि अनुमन्य नहीं थी) के पदधारकों द्वारा इस आधार पर अतिरिक्त परिलब्धियों अथवा वैयक्तिक वेतन की मॉग नहीं की जायेगी कि वे पदावनत कर्मी से संशोधित वरिष्ठता सूची के अनुसार वरिष्ठ हैं।

(ङ) कार्मिक विभग के उपर्युक्त शासनादेश संख्या- 8/4//2002टीसी-1-का-2/2015, दिनांक 21-8-2015 के अनुपालन में निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या- 524जी/भू0ज0वि0/ ई-1/जी, दिनांक 29 अगस्त, 2015 एवं संख्या- 546जी/भू0ज0वि0/ ई-1/जी, दिनांक 03 सितम्बर 2015 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 27-4-2015 के अनुपालन में पदोन्नति में आरक्षण तथा परिणामी ज्येष्ठता का लाभ प्राप्त कर दिनांक 28 अप्रैल 2012 के पूर्व दिनांक 15-11-1997 के बाद प्रोन्नत निम्न कार्मिकों को उनसे कर्निष्ठ कर्मी जिस स्तर पर कार्यरत हैं, के स्तर तक उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ- 4 में अंकित पद पर तात्कालिक प्रभाव से पदावनत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय स्वीक़ृति प्रदान करते हैं:-

क्र0सं0	अधिकारी का नाम	वर्तमान पदनाम	पदावनत पद का नाम
1	2	3	4
1	श्री दयाराम	अधिशासी अभियंता (सिविल)	सहायक अभियंता (सिविल)
2	श्री ओंकार सिंह	सीनियर हाइडोजियोलाजिस्ट	हाइडोलाजिस्ट(जियोलाजी)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- उपर्युक्त पदावनत कार्मिकों को वित्तीय नुकसान न हो, इसके लिए शासनादेश संख्या-8/4//2002टीसी-1-का-2/2015, दिनांक 21-8-2015 के प्रस्तर-6 (ख) के अनुसार वेतनमान अनुमन्य कराया जाय।

5- श्री दयाराम एवं श्री ओंकार सिंह के पदावनत के फलस्वरूप अगस्त, 2012 के बाद प्रोन्नत अधिकारियों को वरिष्ठता सूची में सम्मिलित कर नये सिरे से वरिष्ठता सूची यथासमय निर्गत की जायेगी, जिसमें इनका नाम यथास्थान अंकित किया जायेगा। इन अधिकारियों के तैनाती आदेश अलग से निर्गत किये जायेंगे।

चन्द्र प्रकाश
प्रमुख सचिव।

संख्या-21/2015-1129(1)/62-1-2015,तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3- सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
4- निदेशक,भूगर्भ जल विभाग,उ0प्र0, लखनऊ।
5- अधीक्षण अभियन्ता, भूगर्भ जल विभाग, मण्डल-प्रथम, बरेली।
6- संयुक्त निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, मण्डल- द्वितीय, इलाहाबाद।
7- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, इलाहाबाद को राजकीय गजट के आगामी साधारण अंक में प्रकाशनार्थ।
8- सम्बन्धित अधिकारी द्वारा निदेशक,भूगर्भ जल विभाग,उ0प्र0, लखनऊ।
9- संबंधित कोषाधिकारी।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ओम नारायण अहिरवार)
अनु सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।